राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

जयपुर, दिनांक–Signed date

क्रमांकःप.9(48)राज–6/2026/66

परिपत्र

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर सुओ मोटो रिट पिटिशन (सिविल) संख्या 9/2025 'In Re: Phalodi Accident Vs- National Highways Authority of India & Ors-' में आदेश दिनांक 13.04.2026 पारित किया गया है। इस संबंध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय सड़क सुरक्षा समिति तथा सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के राईट ऑफ वे के भीतर राजमार्ग सुरक्षा, व्यापक अवैध अतिक्रमणों और अनाधिकृत व्यवसायिक संरचनाओं (ढाबों/भोजनालय) के क्रम में निर्देश दिये गये हैं।

इस संबंध में सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 25.05.2026 के बिन्दु संख्या 2(iii) में यह निर्देश है किः–

> "Land-use Restriction and no-Construction Zones along the National Highways: State Government may take appropriate action as per law to give effect to the directions of the Hon'ble Supreme Court prohibiting change of land use and unauthorized construction within 40 meters (residential) and 75 meters (Commercial) from the center line of any national Highway."

विभागीय परिपत्र क्रमांक प.02(63)राजस्व–9/भू.रू./2021 दिनांक 18.11.2021 द्वारा इण्डियन रोड कांग्रेस में निर्धारित नार्म्स अनुसार किस श्रेणी की सडक के मध्य बिन्दु से कितनी भूमि छोडकर संपरिवर्तन किया जा सकता है, के निर्देश जारी किए गये हैं।

अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय के अनुसरण में राष्ट्रीय राजमार्ग के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है किः–राष्ट्रीय राजमार्ग के केन्द्र बिन्दु से 40 मीटर तक किसी भी प्रकार का आवासीय निर्माण, संचालन या उपयोग हेतु तथा केन्द्र बिन्दु से 75 मीटर के सीमा क्षेत्र में किसी भी प्रकार के नये ढाबे, भोजनशाला (Eatery) अथवा वाणिज्यिक निर्माण, संचालन या उपयोग हेतु संपरिवर्तन को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.04.2026 की अनुपालना में एतदद्वारा प्रतिबंधित किया जाता है।

आज्ञा से,

(हरि सिंह मीना)
शासन उप सचिव

RajKaj Ref No.: 23432431

Digitally signed by HARI SINGH MEENA
Designation: Deputy Secretary To Government
Date: 2026-07-24 19:42:55 IST
v-1.0

प्रतिलिपिः—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. विशिष्ठ सहायक, मा0 राजस्व मंत्री महोदय।
2. संयुक्त शासन सचिव, मुख्य सचिव, जयपुर।
3. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग।
4. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, गृह विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, परिवहन विभाग।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
7. निबंधक, राजस्व मण्डल अजमेर।
8. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
9. समस्त जिला कलक्टर्स, राजस्थान।
10. शासन उप सचिव, राजस्व (ग्रुप–6) विभाग।
11. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

RajKaj Ref No.:
23432431

Digitally signed by HARI SINGH MEENA
Designation: Deputy Secretary To Government
Date: 2026-07-24 19:42:55 IST
v-1.0